



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1021) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2015

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

8 सितम्बर 2015

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 209 दिनांक 03.09.2015 द्वारा संशोधित विभागीय अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 51, दिनांक 04 मई, 2006 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 4 के स्तम्भ-2 की प्रविष्टि "देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में विनिर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर" को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

"देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में विनिर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर यदि ऐसे पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर का एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैतालिस रुपये प्रति केस से अधिक हो"

2. विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 210 दिनांक 03.09.2015 जो एस०ओ० 209 दिनांक 03.09.2015 का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ है, के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 4 के स्तम्भ-2 की प्रविष्टि "Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India" को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

"Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India if the Ex-Distillery Price of such potable spirit, wine or liquor exceeds eight hundred and forty-five rupees per case"

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-20/2013(छाया-II)—5049]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1021-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>